पंचदश बिहार विधान सभा

सप्तम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-03.12.2012 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री रामायण मांझी, स०वि०स० श्री दामोदर सिंह, स०वि०स० श्री अवनीश कुमार सिंह, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० श्री शिवेश कुमार, स०वि०स० श्री विक्रम कुँवर, स०वि०स०	''निगरानी विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने की जगह स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का काम किया है, जिससे निगरानी विभाग का जो प्रतिफल आना चाहिये वह नहीं आ रहा है । इसका मुख्य कारण किसी काण्ड का अनुसंधान वर्षों-वर्षों तक लम्बित रखना है । लम्बे अवधि तक अनुसंधान लम्बित रख निगरानी विभाग के पदाधिकारी अकूत सम्पत्ति अर्जित कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण सोने का बिस्कुट चांदी में बदलने का मामला स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक-27.11.2012 को छपे खबरों से स्पष्ट है । निगरानी विभाग में पदस्थापित डी.एस.पी. श्री पी.एन. मिश्रा एवं श्री मृत्युंजय कुमार चौधरी ने अकूत सम्पत्ति बनाई है । औरंगाबाद के तत्कालीन मोटर निरीक्षक श्री रघुवंश कुंवर के घर से निकले सोने के बिस्कुट को अनुसंधान पदाधिकारी ने लौटा दिया । दूसरे डी.एस.पी. श्री मृत्युंजय चौधरी ने उसे चांदी का बिस्कुट करार दिया । इन दोनों पदाधिकारियों ने मिलकर कितने दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी बनाने का काम किया है । अत: श्री पी.एन.मिश्रा एवं श्री मृत्युंजय चौधरी के काले कारनामों की उच्चस्तरीय जांच कराने और निगरानी विभाग के अनुसंधान को एक निश्चित समय-सीमा में पूरा कराने के लिए हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	निगरानी

1	2	3	4
2.	श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स० श्री राहुल कुमार, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, स०वि०स० श्री कृष्णनन्दन यादव, स०वि०स० श्रीमती ज्योति देवी, स०वि०स० श्री ललन राम, स०वि०स० श्री प्रदीप कुमार, स०वि०स० श्री रणविजय कुमार, स०वि०स० डॉ० अनिल कुमार, स०वि०स० श्री सत्यदेव सिंह, स०वि०स० श्री श्यामदेव पासवान, स०वि०स० श्री सोम प्रकाश सिंह, स०वि०स०	"गया जिला अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए जिला संचालन समिति से सड़कों का चयन कर ग्रामीण कार्य विभाग से डी०पी०आर० तैयार कराकर कार्यान्वयन कराने का निर्णय लिया गया था । जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-199/वि० गया, दिनांक-13.03.2012 एवं पत्रांक-200/वि० गया, दिनांक-13.03.2012 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए चयनित सड़कों की सूची एवं पत्रांक-732/वि०गया, दिनांक-28.08.2012 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए चयनित सड़कों की सूची कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यपालक अभियन्ताओं को भेजा गया था । संबंधित कार्यपालक अभियन्ताओं द्वारा पारित योजनाओं का विस्तृत कार्य योजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) तैयार कर ग्रामीण कार्य विभाग को भेजा जा चुका है, परन्तु ग्रामीण कार्य विभाग योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं करा पा रहा है । यही स्थिति मगध प्रमण्डल के अन्य जिले औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा एवं अरवल की भी है । अतः उक्त वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यथाशीघ्र अवरोध को समाप्त कर सड़क निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"	ग्रामीण कार्य

लक्ष्मीकान्त झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-35/12- 1682 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 दिसम्बर, 2012 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / निगरानी विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01/12/12

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-35/12- 1682 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 दिसम्बर, 2012 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

01/12/12

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

01/12/12